



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 5, 2017/पौष 15, 1938

No. 31]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 5, 2017/PAUSA 15, 1938

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2016

का.आ. 34(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम 3 के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 226(अ) तारीख 23 जनवरी, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 46 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

“46. अपर सचिव और विकास आयुक्त  
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

सदस्य सचिव-पदेन”

[फा. सं. 1(19)/2013-एनबीएमएसएमई]

सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, अपर सचिव और विकास आयुक्त (एमएसएमई)

टिप्पण: मुख्य अधिसूचना का.आ. 226(अ) तारीख 23 जनवरी, 2015 द्वारा, भारत के असाधारण राजपत्र, में प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th December, 2016

**S.O. 34(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (o) of sub-section (3) of section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), read with rule 3 of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O. 226(E), dated the 23<sup>rd</sup> January, 2015, namely:-

In the said notification, for serial number 46 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“46. Additional Secretary and Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises)	Member Secretary – ex officio”
---	--------------------------------

[F. No. 1(19)/2013-NBMSME]

SURENDRA NATH TRIPATHI, Addl. Secy. & Development Commissioner (MSME)

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 226(E), dated the 23<sup>rd</sup> January, 2015.